न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/294

1. बलवीरसिंह पुत्र स्व. उपकारसिंह जाति ब्राहाम्ण सिख निवासी गुरूनानक कॉलोनी रामगढ़।
2. अजायबसिंह पुत्र स्व. उपकारसिंह जाति ब्राहम्ण सिख निवासी गुरूनानक कॉलोनी रामगढ़ तहसील रामगढ जिला अलवर, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. मनजीतकोर पत्नी मानसिंह जाति ब्राहाम्ण सिख निवासी खिलौरा हाल गुरूनानक कॉलोनी रामगढ, तहसील रामगढ जिला अलवर।
2. ग्राम पंचायत खिलौरा जरिये सरपंच पंचायत समिति रामगढ जिला अलवर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री देवेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 08.06.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.11.2020 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय दिनांक 05.11.2020 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 04.04.2022 को हुई जब वो अपनी कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 317/582 रकबा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 321 रकबा 1 ऐयर, खसरा नम्बर 332 रकबा 37 ऐयर, खसरा नम्बर 323 रकबा 19 ऐयर वाके ग्राम सोनागढ़ तहसील रामगढ की अपने 1/6 भाग को बैंक में रहन रख ऋण प्राप्त करने के लिऐ पटवारी हल्का सोनागढ(रामगढ) के पास हाल जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने के लिऐ तहसील रामगढ में आया तो उसने अपीलान्ट को जानकारी दी कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 05.11.2020 से तहसीलदार के आदेश से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम आ गयी है तो इसी रोज अपीलान्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी की उसके पश्चात् दिनांक 04.04.2022 को ही निर्णय की नकल प्राप्त करने के लिऐ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और सायंकाल नकल प्राप्त हो गई, अपीलान्ट ने वकीलों को निर्णय दिखाया और कानूनी राय ली तो उन्होने अपील करने की सलाह दी उसके पश्चात् अपील करने के लिऐ अपीलान्ट ने खर्चे की राशि की व्यवस्था की,

P.T.O.

व्यवस्था होते ही दिनांक 09.06.2022 को जानकारी की तारीख से अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है तथा दिनांक 04.04.2022 का समय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी नही होने में व्यतीत हुआ है जो माफ करने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट पक्षकार अपील नही था जबकि वक्त पेश होने से अपील अपीलान्ट विवादित अराजी का काबिज रिकार्डेड काश्तकार था इसलिये अधीनस्थ न्यायालय को रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को तलब कर सुनना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुऐ अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पेडेन्ट संख्या 1 ने अपने पति के नाम की दुरूस्ती हेतु अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की थी विवादित आराजी के 2 बिस्वा रकबे पर गैर मु.चाह निर्मित है जिसके 2 बिस्वा रकबे में निर्मित चाह का 1/6 हिस्सा अपीलान्ट के पिता उपकारसिंह ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विक्रय किया था जिसमें नाम की दुरूस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय में अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रस्तुत की, अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजात पर गौर किये बिना सालिम रकबे से अपीलान्ट के नाम के इन्द्राज का राजस्व रिकार्ड से हटा दिया और उस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम का इन्द्राज कर दिया। उन्होने आगे कथन किया है कि अपील सिर्फ 2 बिस्वा के 1/6 हिस्से पर पति के नाम को दुरूस्त करने के लिऐ थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मैटर इन कन्ट्रावर्सी को समझने में अपने दिमाग का इस्तेमाल नही किया और तथ्यों एवं कानून के विपरित अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य राजीनामा हो गया है तथा रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने हेतु अपनी सहमति दी तथा उन्हे कोई एतराज नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.11.2020 को निरस्त किया जावें और निर्णय के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में आये बदलाव को भी हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड में निर्णय से पूर्व की स्थिति कायम किये जाने के आदेश भी फरमाये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य राजीनामा हो गया है और अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर ली जाये इसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई एतराज नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर

P.T.O.

न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1739 मे दो बिस्वा में कुआँ है जिसमें 1/6 हिस्से का बेचान हुआ है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर ~~बिना~~ गौर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.11.2020 एवं नामान्तरकरण संख्या 210 दिनांक 22.12.2003 को निरस्त किया जाता है तथा यदि उपखण्ड अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.11.2020 की अनुपालना में अन्य कोई नामान्तरकरण भी खुल गया हो तो उसे भी निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार रामगढ जिला अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विक्रय पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त 8/6/23
जयपुर।